opened as per norms fixed by the Government. One Allopathic CGHS dispensary is already functioning in Ghaziabad and there is no further proposal to open a new CGHS dispensary in Ghazibad at present.

As regards the appointment of AM A in the said colonies, it is for the concerened Ministries/Departments of the employees residing there to appoint AMA for providing medical facilities to their employees, under the delegated poweres under CS (MA) Rules, 1994.

Anomalies in the Promotions of I.C.M.R. Staff

2018. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WEL FARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in April 1997 Government have agreed to accept one time assessment and promotion scheme for the technical staff of the I.C.M.R. to rectify the gross anomalies in the absence of promotion and assessment scheme for the said staff;

(b) if so, whether Government have since implemented this assurance; and

(c) if not, the reasons therefor and the tentative time schedule to rectify the situations?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI SURESH PRABHU): (a) to (c) The matter has been pending consideration as it is linked with the Vth Pay Commission's recommandation regarding the Assured Career Progression on which a decision is yet to be taken.

इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा प्रणाली

2019. **श्री नागमणि** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वस्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इलैक्ट्रोपैथी चिकित्सा प्रणाली को मान्यता देने के लिए जांच व विशेषज्ञ समिति का गठन की थी;

(ख) क्या समिति ने इलैक्ट्रोपैथी संस्थानों का निरीक्षण किया था;

(ग) क्या समिति ने इलैक्ट्रोपैथी में प्रेक्टिस कर रहे चिकित्सकों को इस चिकित्सा प्रणाली के बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली थी; और

(घ) क्या स्वास्थ्य सचिव ने यह माना कि यह प्रणाली विकास की अवस्था में है?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। जांच समिति के सदस्यों ने अलवर, आगरा, नई दिल्ली और मथुरा के इलैक्ट्रापैथी संस्थानों का निरीक्षण किया।

(ग) और (घ) जांच समिति के सदस्यों ने आधारभूत ढांचं, पाठ्यक्रम, पुस्तकालय सुविधाओं तथा इलैक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधों की आपूर्ति की जांच की। फिर भी इस समिति ने इलैक्ट्रौपैथी/ इलैक्ट्रोहोम्योपैथी को नई चिकित्सा पद्वति के रूप में मान्यता देने की संस्तुति नहीं की। बाद में, तत्कालीन सचिव (स्वास्थ्य) ने 19.1.1993 को यह बताते हुए एक आख्यापक आदेश जारी किया कि इस पद्वति के विकास के "वर्तमान स्तर)" पर इलैक्ट्रौपैथी/ इलैक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती हैं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के लिए दी गई वित्तीय सहायता का उपयोग

2020. **श्री रामजीलाल** : क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री 26 नवम्बर, 1996 को राज्य सभा में अतारांकित प्रश्न 380 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के लिए दी गई वित्तीय सहायता के वास्ताविक उपयोग की पुष्टि किस प्रकार करती हैं;

(ख)वर्ष 1996-97 तथा 1997-98 के दौरान विभिन्न राज्यों में इस मद में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई और क्या इसका वास्तविक उपयोग भी किया गया; और

(ग) आगामी वित्त वर्ष तथा चालू वित्त वर्ष में हरियाणा को कितनी वित्तीय सहायता देने का प्रावधान हैं?

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री सुरेश प्रभु) : (क) राज्य सरकारें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना और उनका अनुरक्षण राज्य क्षेत्र न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम/ बुनियादी न्यूनतम सेवाओं के अंतर्गत करती हैं। राज्य सरकारें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिकताएं स्वयं तय करती हैं।

(ख) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 के लिए अनुमोदित परिव्यय विवरण में दिए गए हैं। (**नीचे देखिए**)

(ग) राज्य सरकारें वर्तमान तथा अगले वित्तीय वर्ष के लिए परिव्ययों को योजना आयोग से विचार विमर्श करके अंतिम रूप देने की कार्रवाई कर रही हैं।

विवरण

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत परिव्यय

लाख रूपये में

	1996-97	1997-98
आंध्र प्रदेश	600.00	1700.00
अरूणाचल प्रदेश	881.00	943.00
असम	2673.00	3834.00
बिहार	अनुपलब्ध	4699.45
गोवा	170.00	169.00
गुजरात	1000.00	12177.00
हिमाचल प्रदेश	1713.25	2659.10
जम्मू और कश्मीर	3105.00	5223.53
कर्नाटक	अनुपलब्ध	
केरल	426.00	
मध्य प्रदेश	5498.62	4556.18
महाराष्ट्र	9480.00	
मणिपुर	269.00	271.65
मेघालय	1345.00	1898.00
मिजोरम	780.00	1651.00
नांगालैड	1003.00	1017.00
उड़ीसा	1961.20	2910.20
पंजाब	1575.00	963.00
राजस्थान	9585.00	7005.00
सिक्किम	206.00	237.15
तमिलनाडु	3163.37	
त्रिपुरा	549.00	619.00
उत्तर प्रदेश	10066.00	8383.00
पश्चिम बंगाल	1725.00	1400.00
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	455.00	671.00
चंडीगढ़	268.40	
दादरा और नगर हवेलीं	77.65	207.50
दमण और दीव	68..70	
दिल्ली	100.00	
लक्षद्वीप	87.15	151.77
पांडिचेरी	181.57	209.05

Number of Dengu cases

2021- SHRI BRAHMAKUMAR BHATT: Will the Minister of HEALTH AND FAMIL\ WELFARE be pleased to state:

(a) the number of Dengu cases reported in various hospitals in the Capital and also other parts of the country as on 31st December, 1997;

(b) the details for the last two years, State-wise;

(c) the action taken to aliminate the disease;

(d) whether Government proposed to hold a conference of the Health Ministers of the States, experts and scientists on the subject;

(e) if so, the details thereof; and

(f) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI SURESH PRABHU): (a) and (b) The requisite information about Dengue cases and deaths, State-wise during 1996 &'97 is given in the Statement. *(See* below)

(c) The following steps were undertaken for Prevention & Control of this Disease:—

— Intensification of surveillance activities,

— Vector Control measures,

— Strengthening of hospital services for proper management cases,

— Intensification of information, education and communication activities,

— Source reduction,

— Organisation of trainging programmes,

— Mass awareness campaigns by the local bodies,

— Invocation of bye-laws against mosquitogenic conditions and lodging of FIRs against those who flout these Provisions,

— Declaration of Dengue as notifiable disease under Delhi Municipal Corporation Act, making it mandatory for all hospitals to report the cases of Dengue,